

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर
आदेश

एकलपीठ सिविल विविध अपील नम्बर 6893/2017

16.04.2018

माननीय न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा

श्री सी एस जोधा, अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री मनीष पाराशर, अधिवक्ता वास्ते

श्री एम के कौशिक अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 4

विद्वान अधिवक्ता श्री एम के कोशिक की ओर से श्री मनीष पाराशर अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वे अगली तारीख पेशी तक प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से वकालतनामा पेश कर देंगे।

तदनुसार प्रत्यर्थी संख्या 4 की तामील पर्याप्त मानी जाती है।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति